प्रेस नोट
दिनांक 24.12.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले रु0 15,000/- का ईनामिया जालसाज अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 506/2023 धारा- 419/420/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित रु0 15,000/- के ईनामिया जालसाज अभियुक्त जगदीश यादव पुत्र जयराम यादव निवासी ग्राम नौशहरा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को बर्नाला स्टेशन (पंजाब) से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी गुलशन यादव पुत्र हरिशंकर यादव ग्राम मीरपुरवा दुल्लापुर तरहर पोस्ट ठड़की पट्टी थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी जगदीश यादव द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लोगों से कुल रु0 14,00,000/- (चौदह लाख रुपये) की ठगी की गयी । वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। जिसपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रु0 15,000/- का ईनाम घोषित किया गया था। थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा विवेचना के क्रम में बर्नाला रेलवे स्टेशन (पंजाब राज्य) पहुँचकर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 21.12.2025 को आरोपी अभियुक्त- जगदीश यादव पुत्र जयराम यादव निवासी ग्राम नौशहरा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर को बर्नाला स्टेशन (पंजाब) से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. जगदीश यादव पुत्र जयराम यादव निवासी ग्राम नौशहरा थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 506/2023 धारा- 419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रशान्त शुक्ला मय हमराह
02. उ0नि0 गोलू तिवारी
03. हे का० शैलेन्द्र राय

मीडिया सेल, गोण्डा।